केन्द्रीय बजट 2018 : एक कदम आगे की ओर

केन्द्रीय बजट 2018 : बजट कृ-ि क्षेत्र के संकट का समाधान करता है। किन्तु इसके आबंटन में बहुत बड़ी कमियां हैं।

सभी खुश परिवार एक जैसे होते हैं, प्रत्येक उदास परिवार कई कारणों से उदास रहता है। अन्ना केरेनिना उपन्यास में कहा गया है, 'यदि कोई व्यक्ति हर तरफ से संतु-ट है, केवल वह ही खुश होगा'। बजट में सभी क्षेत्रों को राशि आबंटित की गई है किंतु इसमें अत्यधिक बाधाऐं हैं, जबकि किसी व्यक्ति की सभी आशाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। यह सत्य है कि प्रत्येक आशा को पूरा नहीं किया जा सकता किंतु स्वीकार करना होगा कि वित्त मंत्री अरूण जेतली ने एक ऐसा बजट पेश किया है जो ग्रामीण भारत पर केंद्रीत है और सरकारी नितियों से आहत कृ-ि क्षेत्र के लिऐ एक बड़ी राहत हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केन्द्रीय बजट किसी एक विशे-ा व-र् के लिऐ सरकार की अनुमानित आय और व्यय का साधारण विवरण होता है।

नितियों की घो-णा करने के वार्-िक समारोह में एक बजट को प्रस्तुत करने के स्थान पर प्रधानमंत्री को चाहिऐ की वे आने वाले व-र् के लिऐ अपने विचारों से रा-ट्र को संबोधित करें और उस आधार पर वित्त मंत्री को अपना बजट प्रस्तुत करना चाहिऐ। इस क्षेत्र की क्षतिपूर्ति ओर प्राशचित के लिऐ पहला कदम यह होगा कि अतित की असफलताओं को स्वीकार किया जाऐ। आर्थिक सर्वेक्षण में यह सही कहा गया है कि किसानों की वास्तविक आय वहीं की वहीं है। अगला उचित कदम यह होगा कि सुधारात्मक उपाय और स्थिति पर पुनःविचार किया जाऐ। इस बजट में इसी दिशा में प्रयास आरंभ किया गया है।

जिन फसलों के लिऐ न्यूनतम समर्थन मूल्य घो-ित किया जाता है, उन सभी फसलों की खरीद का आश्वासन देना एक सकारात्मक कदम है। यदि सरकार का वादा है कि लागत . 50 प्रतिशत लाभ देना तो यह आधा कार्य ही होगा। इसके साथ-साथ रमेश चन्द समिति की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करने संबंधी सिफारिशों को स्वीकार करने की भी घो-णा होनी चाहिऐ, किंतु ऐसा नहीं हुआ। निति आयोग भी ऋण निति के लिऐ एक विचारमंच तैयार करने के लिऐ सहमत है, जिसकी हम काफी समय से आशा कर रहे थे। हम यह मानकर चलते हैं कि संस्थागत ऋण उन किसानों को भी मिल पाऐगा जो पट्टे पर खेती करते हैं।

कृ-ि विपणन आधारभूत निधि में रू. 2,000 करोड़ की राशि देने का प्रस्ताव है, तांकि 22,000 ग्रामीण कृ-ि मंडियों और 585 कृ-ि उत्पाद विपणन समितियों में कृ-ि विपणन की आधरभूत सुविधाऐं विकसित और सुधारी जा सकें। इन मंडियों से दूरस्थ स्थानों के किसानों को भी कृ-ि मंडियों से जुडने का अवसर मिलेगा जो किसी प्रकार की संस्थागत तंत्र से रहित हैं। टमाटर, प्याज और आलू जैसे संवेदनशील सब्जियों के भावों की अस्थिरता को रोकने के लिऐ 'ऑपरेशन फल्ड'

के समान 'ऑपरेशन ग्रीन' एक सकारात्मक कदम है। कृ-ाक उत्पादक संस्थाओं को आयकर में छूट देने की लंबे समय लंबित मांग को पूरा किया जाऐ। मछली पालन और पशुपालन क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं हेतु रू. 10,000 करोड़ की निधि देने से ग्रामीण रोजगार उत्पन्न होंगे और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

दिल्ली रा-ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वायु प्रदू-ाण को कम करने के लिऐ फसलों के अवशे-ाों को जलाने के लिऐ विशे-ा प्रबंध और मशीनरी हेतु भी निधि आबंटित की गई है। लक्षित कार्यक्रम जैसे 96 सिंचाई रहित जिलों, जहां 30 प्रतिशत से भी कम भूमि को जल उपलब्ध है उसके लिऐ प्रधानमंत्री कृ-ि सिंचाई योजना के तहत उन्हें सुनिशिचित सिंचाई सुविधा मिलेगी, इस ओर ध्यान दिया गया है। बागवानी क्षेत्र की ओर ध्यान देने और पशुओं के गोबर और खेतों में ठोस अवशे-ा से कंपोस्ट, उर्वरक, बॉयोगैस और बॉयो-सीएनजी तैयार करने की ओर ध्यान देना भी प्रशंसनिय है।

50 करोड़ से अधिक निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों को प्रति व-र् प्रति परिवार को हॉस्पीटलाईजैशन के लिऐ रू. 5 लाख का बीमा देने की प्रमुख रा-ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना उत्कृ-ट है। किंतु इस योजना के लिऐ राशि अपर्याप्त है। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा होने पर पिछले व-र् की बहुत सी बजट घो-ाणाओं का क्या होगा जिनके लिऐ राशि का आबंटन कम पडने के कारण वह घो-ाणाऐं पूरी नहीं हो सकी थी। डावोस में भारतीय वृद्धि दर की कहानी को बड़ा-चड़ाकर कहने के लिऐ प्रस्तुत आंकडों के बारे में एक समान्य संक्ष्य था। इस बजट में निधियों के आबंटन के संबंध में भी इसी प्रकार की ृांका नजर आ रही है।

जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं का समाधान भी नहीं हो पाया है क्योंकि कृ-ि अनुसंधान एवम् विकास क्षेत्र को नजरांदाज किया गया है। उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। किसानों की कृ-ि संबंधित योजनाओं की सबसे बडी मांग, कि केन्द्र-राज्य की निधियों का अनुपात 60:40 से 90:10 किया जाऐ, को भी अनदेखा कर दिया गया है।

पिछले 10 व-ोंं में भारत के तीन वित्त मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किऐ गऐ बजट में की गई घो-ाणाओं या प्रस्तावों में किसानों की सबसे बडी समस्या को निरंतर अनदेखा किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण समस्या किसानों की आत्महत्याओं को कम करने संबंधी है। पिछले 3 व-ोंं में ही 36,000 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

लोगों के जीवनस्तर में परिवर्तन करने की ृाक्ति सत्ताधारी-दल में होती है। प्रधानमंत्री को अपनी असिम ृाक्तियों का उपयोग किसानों द्वारा आत्महत्या करने की दुखद गाथाओं को समाप्त करने में करना चाहिऐ। बजट आबंटन एक ऐसा अचूक साधन होता है जो लोगों की आशाओं को पूरा करने में अति-उपयोगी सिद्ध होता है। इस प्रकार उन्हें किसानों के संकट को ृाघ्र दूर करना चाहिऐ अथवा इस प्रकार की परिस्थितियों में बेंजामिन फ्रेंकलिन की यह चेतावनी अवश्य सुननी चाहिऐ : 'हम

सभी को इकट्ठे सूली पर चढ़ जाना चाहिऐ, अथवा हम सब निश्चित रूप से अलग-अलग सूली पर चढेंगे'।

आलू संबंधी पूर्वसूचना

मोदी सरकार के पिछले 4 व-र्ों के राज में 2 व-र् में आलू के मूल्यों का संकट एक ऐसा उदाहरण है जिससे यह स्प-ट होता है कि इस सरकार के लिऐ किसानों की कोई महता नहीं है।

किसान आदतन मजेदार कहानियां सुनाने वाले होते हैं। मेरे किसान दादा प्रायः एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बार जब उन्होंने मध्यरात्रि को एक किसान को अपने खेत में आलू के ढेर पर बैठा पाया तो पूछा कि वह इन आलूयों की रखवाली क्यों कर रहा है जबकि इन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है ? वे किसान का उत्तर सुनकर हैरान रह गऐ कि वह इस ढेर की अपने खेत में इसलिऐ रखवाली कर रहा है कि कोई अन्य किसान उसके खेत में आलू न फेंक जाऐ। इस 40 व-र् पुरानी कहानी की मुझे याद इसलिऐ आई कि हाल ही में किसानों ने उत्तर-प्रदेश के मुख्यमंत्री के लखनऊ में उनके घर और कार्यालय के सामने बचे हुऐ आलू का ढेर लगा दिया था।

लखनऊ में आलू संकट की उत्पत्ति तो हाल ही कि घटना है किंतु जून, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के साधारण चुनावों में अद्भुत जनादेश मिलने के बाद केन्द्रीय सरकार का पहला कार्य था कि इसने आलू के न्यनूतम निर्यात मूल्य को कम कर दिया था (इंडियन एक्सप्रैस, 5 जुलाई, 2014 को प्रकाशित मेरे 'मेकिंग ऐ हैश ऑफ ईट' लेख का संदर्भ लें) और साथ ही आलू को अनिवार्य जिंस अधिनियम में ामिल किया तथा ुल्क रहित आयात की भी अनुमति दी, जबकि आूल के आयात पर बिमारियों का जोखिम भी था। आलू उत्पादकों को परेशान किया गया और ीतभंडारों पर छापे मारे गऐ। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत के उनमाद में किसानों की चिंताऐं भी डुब गई। इस कारण किसानों को बहुत कम लाभ मिला, जबकि वे इससे ज्यादा लाभ कमा सकते थे। औसतन 50 लाख आलू उत्पादकों को रू. 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ (कुल उत्पादन 420 लाख टन ग रू. 7 प्रति किलो ग्राम का मंदा भाव), इस प्रकार प्रति आलू उत्पादक को रू. 60,000 का नुकसान हुआ।

प्रत्येक किसान आमतौर पर पिछली फसल में अर्जित लाभ के आधार पर अगले मौसम की फसल उगाता है। इसी कारण व-र् 2015 में भारत में 480 लाख टन आलू की पैदावार हुई और आलू के मूल्य रू. 2.75 तक गिर गऐ। सरकार ने किसानों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया और आलू उत्पादक आलू की बिजाई की कीमत भी वसूल नहीं कर पाऐ।

वर्ा 2016 भारत में एक समान्य आलू उत्पादक वर्ा था जिसमें 440 लाख टन आलू की पैदावार हुई। बिना किसी विश्वसनीय आंकडों से और मुद्रास्फीति के डर से सरकार ने अधिक तेजी दिखाई और दोबारा न्यूनतम निर्यात मूल्य तय कर दिया। अंतर्रा-ट्रीय बाजारों में आलू का निर्यात न होने से इसके मूल्य निचे चले गऐ। दुर्भाग्य वर्ा उसी वर्ा नवंबर में नोटबंदी से स्थिति और बद्तर हो गई। किसानों को रू. 5 प्रति किलो ग्राम की दर से कुल रू. 22,000 करोड़ की अनुमानित हानि हुई और यह वर्ा 2016 में प्रति किसान उत्पादक रू. 44,000 बनती है। निर्यात पर प्रतिबंध लगने से पाकिस्तान और बंगलादेश के आलू उत्पादकों को अप्रतियाशित लाभ कमाने का मौका मिल गया। आयातक देश हमेशा विश्वसनिय कारोबारी को अपना भागीदार बनाता है और निति निर्माताओं के मनमाने निर्णयों से भारत के किसान इस अवसर से वंचित रह गऐ। इसी कारण अब हमारे उत्पाद पड़ोसी देशों की तुलना में कम मूल्यों पर बिकते हैं।

वर्ा 2017 में वर्ा 2016 की तुलना में आलू के महंगे होने के कारण और अच्छा मौसम होने के कारण भारतीय किसानों ने 480 लाख टन आलू का उत्पादन किया, किंतु आलू के भाव बिलकुल मंदे हो गऐ। जब आलू के भंडारण करने के 10 महीने बाद भी इसके भाव 50 पैसे से रू. 2 प्रति किलो के बीच बने रहे, तो किसानों की आशाओं पर पानी फिर गया। आलू उगाने की लागत रू. 6.50 प्रति किलो और गौदाम में रखने की रू. 2.50 प्रति किलो की अतिरिक्त लागत होने के कारण किसानों के लिऐ गौदाम से अपने आलू के माल का दावा करना भी अव्यवहारिक हो गया और इस कारण लखनऊ और अन्य स्थानों पर आलूओं को फैंकना पड़ा।

किसानों की दशा देखें : मोदी सरकार के 4 वर्ाों के ाासन में 2 बार ऐसा अवसर आया जब किसानों की आय दोगुनी हो सकती थी, किंतु मुद्रास्फीति के भय से और अदूरदर्शी सरकारी नितियों के कारण प्रत्येक आलू उत्पादक को लगभग रू. 1,04,000 की हानि उठानी पडी। केवल आलू के 2 मौसम में किसानों को हुई हानि उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा घोि-त ऋण माफी की राशि से दोगुनी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि खाद्य-मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। किंतु एक आलू उत्पादक होने के कारण में मानता हूं कि इस वि-नय में मेरा अपना हित है, किंतु इस प्रकार के अनुभव से ही मुझे अवसरवादि बनना पडता है। हमारी उचित और साधारण मांग है : सरकार को बुरे फसल मौसम में आलू के भाव महंगे होने पर हस्तक्षेप करना चाहिऐ और सरकार को नैतिकता के आधार पर अधिक उत्पादन होने पर रू. 9 प्रति किलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी देना चाहिऐ। आम तौर पर किसान 1 वर्ा में एक बार लाभ अर्जित करने का अवसर पाता है, और यदि उसे लाभ मिल जाता है तो वह अगले वर्ा फसल में हानि उठाने के लिऐ भी तैयार हो सकता है। लेकिन जब निरंतर किसान कर्ज के बोझ तले दबता रहेगा, तो वह सरकारी वित्तीय सहायता की आशा तो करेगा ही। इसके परिणामस्वरूप अधिकतम किसानों की संस्थाऐं अपने आप को कृि ऋण माफी तक ही सीमित रखकर संतु-ट हो रही हैं और वे नीतिनिर्माताओं की दलदल में धंसने का जोखिम नहीं लेना चाहती।

व-र्ा 2018 में केवल 5 प्रतिशत आलू की बिजाई कम है और आशा है कि आलू उत्पादकों को अच्छा लाभ मिलेगा। किंतु इतिहास के आंकडों से पता चलता है अदूरदर्शी सरकार न्यूनतम निर्यात मूल्य बढा देगी अथवा अनिवार्य जिंस अधिनियम लागू कर देगी। कृ-ि संकट का समाधान बजट में आबंटन करने तक सीमित नहीं है बल्कि एक ऐसे सिस्टम में इसका समाधान है जहां खाद्य-मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिऐ ऐसे सुसंगत हस्तक्षेप हों जिनसे किसान को फसल की लागत तो मिल सके। जहां तक किसानों की आजीविका का प्रश्न है, राज्य सरकारें और कृ-ि एवम् किसान कल्याण मंत्रालय इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं और इस ओर बहुत कम ध्यान दे रही हैं, क्योंकि खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोकता मंत्रालय के निर्णय प्रधानमंत्री की किसानों की आय दोगुनी करने की उस विशाल योजना को विधवंस कर रहे हैं।

भारतीय किसान निरूत्साह हैं। सरकार का यह वादा 'सबका साथ, सबका विकास' खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि स्प-ट दिखाई दे रहा है कि यह सरकार व-र्ा 2019 के लोकसभा चुनाव जितने के लिऐ एक सोची समझी रणनिति के तहत ृाहरी मतदाताओं पर अपना ध्यान देने का निर्णय कर चुकी है। वास्तव में भारतीय जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत भाग वित्तीय रूप से कृ-ि पर प्रत्यक्ष निर्भर है, किंतु धार्मिक, जाति और बार-बार परिवर्तित होने वाली परिस्थितियों के कारण गांव-गांव में किसान बंटे हुऐ हैं। इस कारण राजनैतिक दल किसानों को राजनिति में कोई महत्व नहीं देते। विपक्ष भी समान रूप से दुखद स्थिति में है, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा किसान नेता नहीं है जो किसान समुदाय को एकजुट कर पाऐ। हालांकि, किसान राजस्थान और मध्य-प्रदेश के विधानसभा चुनावों में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं और विपक्ष किसानों की दुर्गति का फायदा उठा सकता है।

बेयर कंपनी द्वारा मॉन्सेन्टो कंपनी को खरीदना – पूछे जाने वाले प्रश्न

'बड़ी 6' बहुर्रा-ट्रीय कंपनियां – बेयर, डोव, डुपांट, मॉन्सेन्टो, पाईनियर और सिन्जेन्टा का पिछले कई दशकों से बीज और कृ-ि रसायन के उद्योग पर प्रभुत्व है। व-र् 2015 से इनके बीच अर्जन और विलय का काम चल रहा है। डुपांट और डोव जिन्होंने व-र् 2015 में विलय की घो-णा की थी, उन्होंने 31 अगस्त, 2017 को अपना विलय पूरा कर लिया। जून, 2017 में चीन के एक राज्य के रसायन के बहुत बड़े कारोबारी चेंम चाईना ने स्वीट्जरलैंड की कृ-ि उद्योग की बड़ी कंपनी सिन्जेन्टा को खरीद लिया।

किन्तु सबसे बडा सौदा बेयर और मॉन्सेन्टो के बीच का है। जर्मनी की रसायन और औ-धी बहुर्रा-ट्रीय बेयर ए.जी. ने अमेरिका की मॉन्सेन्टो के साथ सितंबर, 2016 में एक सौदा किया और इसे 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया। तब से लेकर अब तक विलय की प्रक्रिया चल रही है, यह सौदा पूरा होने पर मॉन्सेन्टो बेयर के स्वामित्व में उसकी एक सहायक कंपनी बन जाऐगी। किन्तु किसानों के मामले में यह एक चिंताजनक वि-ाय है। इसलिऐ इस प्रकार के अर्जन और विलय के कार्य को करने के लिऐ विभिन्न देशों के संबंधित प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों का अनुमोदन लेना आवश्यक होता है।

यह जानने के लिऐ की बेयर और मॉन्सेन्टो के विलय से क्या भारत के संबंधित उद्योग क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा पर विपरित प्रभाव पड़ सकता है या पड़ने की आशंका है, इसके लिऐ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने उन व्यक्ति या कंपनियों से उनकी ट्रिपपणीयां / आपित्तियां और विचार लिखित में मांगे हैं जिन पर इनके संयोजन से बुरा प्रभाव पड़ सकता है। किसानों के समूह और अन्य संबंधित व्यक्ति इस संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अपने विचार भेज रहे हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के भारत सरकार की एक निकाय है जिसका कार्य भारत में प्रतिस्पर्धा पर बूरा प्रभाव पड़ने और स्थानिय बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और बनाऐ रखने तथा उपभोगताओं के हितों की रक्षा करने एवम् भारत में सभी मंडियों के अन्य प्रतिभागियों के बीच मुक्त वयापार करने की स्वतंत्रता सुनिशिचित करना है। प्रतिस्पर्धा न होने की स्थिति में एक

ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां कुछ या एक ही उत्पादक / विक्रेता इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वह मनमाने ढंग से भाव तय करे और जैसा चाहे वैसा करे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को नियंत्रित और लागू करता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में कोई भी ऐसा अधिकारी या कर्मचारी नहीं है जिसमें कृ-ि के वि-ाय का विशे-ाज्ञ हो अथवा ऐसा व्यक्ति हो जिसे भारतीय किसानों की वास्तविकताओं और उनकी कठिनाईयों की जानकारी हो। अतः प्रतिस्पर्धा आयोग को यह सुचना देना आवश्यक है।

सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि किसानों के खेतों से जो वास्तविक जानकारी है उसे आयोग के समक्ष रखा जाऐ। किसानों से उपलब्ध व्यकतव्य और उनके अनुभव जो बेयर और मॉन्सेन्टो कंपनियों के उत्पादों से उनको मिलते हैं, इनकी प्रस्तुती और सूचना निति निर्माताओं के समक्ष रखने से स्थिति काफी स्प-ट हो सकती है।

प्रश्नावलीः

- आप किस कंपनी के बीज और संबंधित उत्पाद खरीद रहे हैं और क्यों ? क्या आपको स्थानिय रूप से इनके कुछ अन्य विकल्प उपलब्ध हैं ?
- क्या आप बेयर अथवा मॉन्सेन्टो के उत्पादों का उपयोग या खरीददारी करते हैं ?
- यदि हां तो इन उत्पादों की लागत में कितना अनुमानित खर्च करना पड़ता है ?
- क्या आपको इन कंपनियों और / अथवा उनके डिलरों से कोई डिस्काऊंट मिलता है ?
- क्या इन कंपनियों की बीजों की खरीद करने से इनके साथ किसी तरह का कोई अन्य लाभ या पैकेज मिलता है, जैसे की कृ-ि रसायन इत्यादि ?
- क्या इन उत्पादों के उपयोग से किसान-उपभोक्ता को कोई ऐसी शिकायत है जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडने की रिपोर्ट है ?

अपनी प्रतिक्रिया / विचार निम्नलिखित को भेजें:

1. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
   हिन्दुस्तान टाईम्स हाऊस, 7वीं मंजील,
   18-20, कस्तुरबा गांधी मार्ग,
   नई दिल्ली-110001
   ईमेलः `मबल/बबपण्हवअण्पद

2. कृ-ि एवम् किसान कल्याण मंत्रालय

कृ-ि भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड़,
नई दिल्ली-110001
ईमेलः मइणतपीप/दपबण्पद